



icate No. L002019K8

Stamp Duty Paid : ₹ 4200
(Rs. Only)

No. 59922268



Penalty : ₹ 0

(Rs. Zero Only)

Seller / First Party Detail

Maha singh poonia

Floor : 620

Sector/Ward : 5

LandMark : Kurukshetra

Village : Kurukshetra

District : Kurukshetra

State : Haryana

No. 0

**Buyer / Second Party Detail**

Virasat heritag village trust

Floor : 0

Sector/Ward : 0

LandMark : Kurukshetra

Village : Kurukshetra

District : Kurukshetra

State : Haryana

No. 0

Others : Through secretory rajvir singh

Use : LEASE DEED

The authenticity of this document can be verified by scanning this QrCode Through smart phone or on the website <https://egrashry.nic.in>

पट्टानामा मु0 35,000/-रूपये प्रतिवर्ष, बराए अवधि 40 साल,
अस्टाम मु0 4,200/-रूपये की अस्टाम ड्यूटी बजरिया ऑन लाईन
अस्टाम क्रमांक L002019K8, दिनांक 15/11/2019, चालान रसीद
नं0-59922268 अनुसार अदा की गई है।

हम, महा सिंह पुत्र श्री जूना सिंह पुत्र श्री टेका निवासी मकान नं0-620, सैक्टर 5, अर्बन इस्टेट कुरुक्षेत्र, तहसील थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र ----- प्रथम पक्ष (मालिक भूमि) एवं विरासत हेरिटेज विलेज ट्रस्ट, मकान नं0-620, सैक्टर 5, हुड्डा कुरुक्षेत्र, तहसील थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र द्वारा राजबीर सिंह दहिया सचिव ट्रस्ट प्राधिकृत बजरिया ट्रस्ट प्रस्ताव नं0-4 दिनांक 13/09/2019 ----- द्वितीय पक्ष (पट्टेदार भूमि), के हैं।

जो कि वाका रकबा ग्राम मझाना, तहसील थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र, भूमि तादादी

महा सिंह
प्रथम पक्ष
भूमि मालिक

विरासत हेरिटेज विलेज ट्रस्ट द्वारा
राजबीर सिंह दहिया सचिव ट्रस्ट
द्वितीय पक्ष पट्टेदार भूमि

Rajvir Singh

Reg. No.

Reg. Year

Book No.

6449

2019-2020

1



पट्टा देने वाला



पट्टा लेने वाला



गवाह

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी

पट्टा देने वाला :- महा सिंह महा सिंह

पट्टा लेने वाला :- thru द्वारा राजबीर सिंह दहिया OTHER विरासत हेरिटेज विलेज ट्रस्ट
कुरुक्षेत्र Rajvir Singh

गवाह 1 :- शाम लाल नमब्रदार

गवाह 2 :- ओमप्रकाश नमबरदार

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 6449 आज दिनांक 15-11-2019 को बही नं 1 जिल्द नं 9 के पृष्ठ नं 13.25 पर किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही संख्या 1 जिल्द नं 190 के पृष्ठ संख्या 64 से 66 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहों ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगूठा मेरे सामने किये हैं।

दिनांक 15-11-2019

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी (थानेसर)

प्रलेख नं:6449

दिनांक:15-11-2019

डीड का नाम LEASE		डीड संबंधी विवरण
तहसील/सब-तहसील थानेसर	गांव/शहर मसाना	स्थित सडक से 2 एकड तकचाही
भवन का विवरण		
भूमि का विवरण		
कृषि चाही	26 Kanal 6 Marla	
धन संबंधी विवरण		
राशि 35000 रुपये	कुल स्टाम्प ड्यूटी की राशि 4200 रुपये	
स्टाम्प नं : 1002019K8	स्टाम्प की राशि 4200 रुपये	
रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 1000 रुपये	EChallan:0059932697	पेस्टिंग शुल्क 3 रुपये
Drafted By: prem singh		Service Charge:200

यह प्रलेख आज दिनांक 15-11-2019 दिन शुक्रवार समय 2:55:00 PM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी महा सिंह पुत्र जूना सिंह महा सिंह पुत्र जूना राम निवास द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी (थानेसर)

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
महा सिंह महा सिंह

प्रलेख में वर्णित क्षेत्र नगर एवं ग्रामीण आयोजना विभाग के अधिनियम 1975 की धारा 7-ए के अंतर्गत अधिसूचित है इसलिए दस्तावेज को पंजीकृत करने से पूर्व संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

या

प्रलेख में वर्णित क्षेत्र नगर एवं ग्रामीण आयोजना विभाग के अधिनियम 1975 की धारा 7-ए के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है इसलिए दस्तावेज को पंजीकृत करने से पूर्व संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

दिनांक 15-11-2019
महा सिंह महा सिंह

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी (थानेसर)

उपरोक्त पट्टा लेने वाला श्री/श्रीमती/कुमारी विरासत हेरिटेज विलेज ट्रस्ट कुरुक्षेत्र thru द्वारा राजबीर सिंह दहिया OTHER पुत्र . हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यों को दोनों पक्षों ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया। प्रलेख के अनुसार 0 रुपये की राशि पट्टा देने वाले मेरे समक्ष पट्टा लेने वाला को अंदा की तथा प्रलेख में वर्णित अग्रिम अंदा की गई राशि के लेन देन को स्वीकार किया। दोनों पक्षों की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी शाम लाल नमबरदार पिता — निवासी सिरसमा व श्री/श्रीमती/कुमारी ओमप्रकाश नमबरदार पिता — निवासी लुखी ने की। साक्षी नं:1 को हम नमबरदार/अधिवक्ता के रूप में जानते हैं तथा वह साक्षी नं:2 की पहचान करता है।

दिनांक 15-11-2019

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी (थानेसर)

26 कनाल 6 मरला, खेवट नं0-118/1 (118मिन), मुरब्बा नं0-43, खसरा नं0-21/1(3-16), मुरब्बा नं0-44, खसरा नं0-23(6-10), 24(8-0), 25(8-0), जमाबन्दी साल 2016-2017, का पूर्ण मालिक तथा स्वामी प्रथम पक्ष महा सिंह बिना किसी भागीदार के बरुए इन्तकाल बैय नं0-1605, मंजूर शुदा दिनांक 31-05-2019 व इन्तकाल पारिवारीक हस्तांतरण नं0-1621, मंजूर शुदा दिनांक 11-11-2019 की रूह से है और उपरोक्त भूमि इस समय प्रत्येक प्रकार के भार, रहन आदि से मुक्त है। अब द्वितीय पक्ष ने उपरलिखित भूमि 26 कनाल 6 मरला सहित अधिकार रास्ता आने जाने वा अधिकार खाल पानी व अधिकार हर किस्म बदले मु0 35,000/-रूपये (पैंन्तीस हजार रूपये) बिलमुक्ता सालाना पट्टा के हिसाब से अवधि 40 साल के लिए यानि दिनांक 15/11/2019 से दिनांक 14/11/2059 तक विरासत हेरिटेज विलेज बनाने के लिए प्रथम पक्ष से पट्टा पर ली है। हर साल का पट्टाधन एडवांस में हर वर्ष के नवम्बर माह की 20 तारीख तक द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को अदा करता रहेगा। जो पट्टा धन द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को अदा करेगा उसकी रसीद प्रथम पक्ष से हासिल करता रहेगा। द्वितीय पक्ष का जुबानी दिया गया पट्टाधन प्रमाणित नहीं होगा। कब्जा आज से उपरलिखित भूमि का मौका पर प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को आज से दे दिया है। अब द्वितीय पक्ष को हक होगा कि वह उपरलिखित भूमि में हेरिटेज विलेज बनाने के लिए संग्राहलयों, ऐतिहासिल स्थलों, धरोहर, दुभाषियों, ऐतिहासिक पुनर्विकास का निर्माण करे और इतिहास के विशेष क्षेत्रों में जैसे कि कपडे की शैली, शस्त्र, हस्तशिल्प विरासत के लिए हेरिटेज विलेज बनाए, इसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी। द्वितीय पक्ष बाद समाप्त मियाद पट्टा 40 साल उपरोक्त भूमि का कब्जा वापिस प्रथम पक्ष के हवाले कर देगा या प्रथम पक्ष की रजामन्दी से पट्टाधन में कमी बेशी करके द्वितीय पक्ष नया पट्टानामा तहरीर वा तसदीक करा देगा। यदि दोनो पक्षों के बीच में आगे की अवधि का पट्टानामा तय नहीं हुआ तो द्वितीय पक्ष का तयशुदा तारीख 14/11/2059 को भूमि का कब्जा छोड़ा हुआ समझा जावेगा और जिस पर वापिस प्रथम पक्ष का कब्जा हो जायेगा। यदि द्वितीय पक्ष मियाद पट्टा समाप्त होने के पश्चात

15/11/19

महा सिंह
प्रथम पक्ष
भूमि मालिक

विरासत हेरिटेज विलेज ट्रस्ट द्वारा
राजबीर सिंह दहिया सचिव ट्रस्ट
द्वितीय पक्ष पट्टेदार भूमि

Rajbir Singh

भूमि को खाली करके कब्जा वापिस प्रथम पक्ष के हवाले ना करेगा तथा पट्टाधन समय पर अदा ना करेगा तो इस सुरत में प्रथम पक्ष को हक होगा कि वह न्यायलय द्वारा तमाम पट्टाधन जो भी बकाया हो द्वितीय पक्ष की जातखास वा जायदाद हर किस्म से वसूल कर लेवे, और भूमि हजा से बेदखल करवा कर कब्जा ले लेवे। इसमें द्वितीय पक्ष को किसी किस्म की कोई आपत्ति नहीं होगी। प्रथम पक्ष उपरलिखित भूमि का इन्तकाल पट्टा द्वितीय पक्ष के नाम तसदीक करा देगा या द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष की गैर हाजरी में करा लेवे, इसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी। उपरोक्त भूमि का पट्टानामा की अवधि से पहले का जो भी बिल बिजली, बिल पानी या किसी भी विभाग का कुछ भी बकाया होगा तो उसको अदा करने की जिम्मेवारी स्वयं प्रथम पक्ष की होगी और पट्टानामा की अवधि से हर प्रकार का बिल बिजली, पानी बिल या किसी भी तरह के टैक्स/बिल को अदा करने की जिम्मेवारी स्वयं द्वितीय पक्ष की होगी। पट्टानामा की अवधि तक उपरोक्त भूमि में कार्य करते समय सरकार द्वारा जो भी टैक्स/जुर्माना वगैरा देय होंगे, वह स्वयं द्वितीय पक्ष अदा करने का पाबन्द होगा। इस पट्टानामा के दोनो पक्षों के वारसान भी पाबन्द व जिम्मेवार रहेंगे। हेरिटेज विलेज बनाने के लिए जिस भी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/ सरकारी विभाग जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत, वन विभाग, जिला नगर योजनाकार विभाग, अग्निशमन विभाग, बिजली विभाग, दुरभाष विभाग, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग तथा किसी भी सरकारी या गैर सरकारी विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र द्वितीय पक्ष अधिकृत है। इसके ईलावा द्वितीय पक्ष सरकारी या गैर सरकारी अनुबन्ध से सम्बन्धित कम्पनी या संस्था या किसी भी सरकारी या गैर सरकारी विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने हेतु अधिकृत है। द्वितीय पक्ष किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी बैंक/संस्थान से कर्ज लेने के लिए मालिक प्रथम पक्ष की सहमति से लेने के लिए अधिकृत है। जिसके हर प्रकार की अदायगी की जिम्मेवारी स्वयं द्वितीय पक्ष की होगी। यदि प्रथम पक्ष अवधि समाप्त से पहले पट्टाशुदा भूमि को द्वितीय पक्ष से खाली कराना चाहे तो प्रथम पक्ष

महा सिंह

प्रथम पक्ष

भूमि मालिक

विरासत हेरिटेज विलेज ट्रस्ट द्वारा
राजबीर सिंह दहिया सचिव ट्रस्ट
द्वितीय पक्ष पट्टेदार भूमि

Rajvir Singh

/4/

द्वितीय पक्ष को 6 माह पहले बजरिया रजिस्टर्ड नोटिस सूचित करने का पाबन्द होगा और इसी प्रकार यदि द्वितीय पक्ष पट्टानामा की अवधि से पहले पट्टाशुदा भूमि का कब्जा छोड़ना चाहेगा तो द्वितीय पक्ष भी प्रथम पक्ष को 6 माह पहले बजरिया रजिस्टर्ड नोटिस सूचित करने का पाबन्द होगा। द्वितीय पक्ष के कब्जा छोड़ने की सुरत में कोई अन्य हिस्सेदार नहीं होगा और इस स्थिति में कब्जा वापिस प्रथम पक्ष का ही माना जायेगा।

अतः यह पट्टानामा दोनों पक्षों ने अपनी ठीक बुद्धि स्वस्थ इन्द्रियों से सुन कर वा समझ कर लिखा दिया है तांकि समय पर काम आवे लिखित दिनांक 15/11/2019 इति।

महा सिंह
प्रथम पक्ष
भूमि मालिक

Rajvirsingh
विरासत हेरिटेज विलेज ट्रस्ट द्वारा
राजबीर सिंह दहिया सचिव ट्रस्ट
द्वितीय पक्ष पट्टेदार भूमि

15/11/19.
Doc No - 560.

गवाह:-1

श्याम लाल नम्बरदार ग्राम सिरसमा,
तहसील थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र।

गवाह:-2

ओम प्रकाश नम्बरदार ग्राम लुखी,
तहसील थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र।